

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
पत्रांक- 1712/11-सी-FP/UP/IRRIG/20269/2016, लखनऊ दिनांक: फरवरी 24, 2020

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2,
उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

विषय:- जनपद-सोनभद्र में कनहर सिंचाई परियोजना के मुख्य नहरों एवं प्रणालियों हेतु रेनुकूट वन प्रभाग की 103.675 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 18282 वृक्षों का पातन एवं ओबरा वन प्रभाग की 23.4887 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 2928 वृक्षों का पातन अर्थात् कुल 127.1637 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं कुल बाधक 21210 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- भारत सरकार का पत्रांक-8बी/यू0पी0/02/31/2018/एफ0सी0/425, दिनांक 28.11.2019 एवं उ0प्र0 शासन का पत्रांक-166/81-2-2019-800(118)/2017, दिनांक-17.12.2019

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। भारत सरकार एवं उ0प्र0 शासन के उपरोक्त संदर्भित पत्रों के द्वारा विषयगत प्रकरण में की गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर सूचना/अभिलेख मुख्य वन संरक्षक, मिर्जापुर क्षेत्र, मिर्जापुर ने अपने पत्रांक-3868/मीरजापुर/33, दिनांक 13.02.2020 के द्वारा तथा ऑनलाइन प्रस्ताव दिनांक 24.02.2020 को इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है।

अतः उक्त पत्र की छायाप्रति सहित बिन्दुवार वांछित सूचना एवं अभिलेखों की दो-दो मूल प्रतियाँ इस आशय से संलग्न कर प्रेषित है कि कृपया विषयगत प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
24/2
(पंकज मिश्रा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या- /11-सी-FP/UP/IRRIG/20269/2016, दिनांकित।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य वन संरक्षक, मिर्जापुर क्षेत्र, मिर्जापुर।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट एवं ओबरा।
3. अधिशासी अभियन्ता, कनहर निर्माण खण्ड, तृतीय, पिपरी सोनभद्र।

(पंकज मिश्रा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।